न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 12/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 7.2.2017
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

स्वर्गीय मांगीलाल आत्मज स्वर्गीय कल्याण जाति नायग निवासी बाहरली बूंदी, तहसील व जिला बंदी जरिये कायम मुकामानः—

1/1—हरिशंकर नायग आ0 स्वर्गीय मांगीलाल नायक निवासी बाहरली बूंदी तहसील व जिला बूंदी।
1/2—विजय कुमार नायक
1/3—ओमप्रकाश नायक
पिसरान स्वर्गीय मांगीलाल नायक निवासीगण ग्राम बाहरली बूंदी तहसील व जिला बूंदी।
1/4—श्रीमती शकुंतला नायक पुत्री स्वर्गीय यमांगीाल पत्नी राधेश्याम नायक निवासी 368—डी आजाद नगर भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।

...अपीलाट्स

बनाम

1 गणेशीबाई पुत्री स्वर्गीय जगदीश जाति नायक निवासी बाहरलीबूंदी, जेल कुण्ड के सामने बूंदी तहसील व जिला बूंदी।
2 शांतिबाई पुत्री स्वर्गीय जगदीश पत्नी रामलाल जाति नायग ग्राम आमरवासी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा।
3 श्रीमती ग्यारसीबाई पुत्री स्वर्गीय जगदीश जाति नायक निवासी गुरूनानक कालोनी बूंदी तहसील व जिला बूंदी।
4 राजू
5 पप्पू
पिसरान स्व0 भंवरलाल जाति नायग निवासीगण पायलेटस्कूल के पास बीबनवा रोड बूंदी तहसील व जिला बूंदी।
6 चौथमल आत्मज स्वर्गीय भंवरलाल जाति नायग निवासी मोनिका स्टोन के सामने कालीबेदी नन्दलाल पुलिया के पास जोधपुर तहसील जोधपुर जिला जोधपुर।
7 श्रीमती नन्दूबाई पुत्री स्वर्गीय भंवरलाल पत्नी राम श्याम नायक निवासी नायक मोहल्ला बाहरलीबूंदी तहसील व जिला बूंदी।
8 श्रीमती मंजूबाई पुत्री स्वर्गीय भंवरलाल पत्नी पंकज नायग जाति नायग निवासी ग्राम धरियाबाद जिला प्रतापगढ
9 श्रीमती बसनीबाई पुत्री स्वर्गीय भंवरलाल पत्नी रामनिवास जाति नायक निवासी ग्राम भिण्डा तहसील नावा जिला नागोर।

10 प्रेमबाई विधवा स्व0 भंवरलाल जाति नायक नि0 धानमण्डी रोड देवदाल मील की गली बूंदी तह0 व जिला बूंदी।

11 रामलाल पुत्र स्व0 जगदीश जाति नायक निवासी निवासी बीबनवारोड पायलेट पब्लिक स्कूल के पास बूंदी तहसील व जिला बूंदी।

12 श्रीमती मंजूबाई बेवा स्व0 अमरलाल जाति नायग निवासी बाहरलीबूंदी जेलकुण्ड के सामने की गली तहसील व जिला बूंदी।

13 बबलू आ0 स्व0 अमरलाल जाति नायग निवासी बाहरलीबूंदी जेलकुण्ड के सामने की गली तहसील व जिला बूंदी।

14 श्रीमती सीमा पुत्री स्व0 अमरलाल पत्नी राजकुमार जाति नायक निवासी इन्द्राकालोनी डी0सी0एम0 फेक्टरी कोटा।

15 राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा
।

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलाट
श्री कैलाशचंद गुप्ता, रामदत्तशर्मा अभिभाषक रेस्पो0 2 व 4

:::निर्णय:::

दिनांक 30.10.2018

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मिसल संख्या 17/अपील/15 अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान मांगीलाल बनाम श्रीमती चेनीबाई वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 9.1.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि सहायक कलक्टर बूंदी के निर्णय दिनांक 16.7.62 के आधार पर जगदीश वल्द कल्याण जाति नायक के पक्ष मे तस्दीक किये गये नामान्तरकरण से अप्रसन्न होकर मांगीलाल द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय मे अपील पेश कर निवेदन किया कि राजीनामा पर अपीलांट के हस्ताक्षर नही है ना ही अपीलांट की कोई सहमति अंकित है। विवादित आराजी के बटवारे के संबध मे न्यायालय से प्रारम्भिक या अंतिम डिक्री पारित नही हुई इस प्रकार आदेश दिनांक 16.7.62 व राजीनामा दिनांक 5.1.62 किसी प्रकार से वैधानिक असर नही रखते है। विवादित भूमि संयुक्त पारिवारिक सम्पत्ति है एंव अपीलांट का भूमि मे 1/2 हिस्सा निहित है इसके बावजूद भी अपीलांट के भाई जगदीश द्वारा आदेश दिनांक 16.7.62 एंव कथित राजीनामा दिनांक 5.1.62 को आधार बनाकर भूमि का नामान्तरकरण सं0 83 दिनांक 29.6.1984 अवैध रूप से स्वयं के नाम दर्ज करवा लिया। तहसीलदार बूंदी द्वारा कोई जांच नही की गई। तहसीलदार बूंदी द्वारा अधिकारिता एंव क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर इन्तकाल खोला है जो अवैध होने से निरस्तनीय है। अपीलांट को उक्त इन्त0 की जानकारी 2.2.15 को किसी व्यक्ति द्वारा भूमि विक्रय होने की जानकारी देने पर हुई अतः अपील प्रा0 पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण खारिज करने का अनुरोध किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील मियाद बाहर होने तथा अवधि मध्य माने जाने का कोई ठोस आधार नही होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद

अधिनियम का खारिज किया जाकर परिणाम स्वरूप अपील के गुणावगुणो पर बिना कोई टिप्पणी किये अपील मियाद बाहर होने से जेरअपील निर्णय दिनांक 9.1.2017 से खारिज की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपील मियाद बाहर मानकर खारिज करने मे त्रुटि की है। विवादित आराजी जुमला 3 किता रकबा 20 बीघा 2 बिस्वा ग्राम बीबनवा राजस्व अभिलेखो मे अपीलांट मांग्या एवं जगदीश पिसरान कल्याण नायक के शामलाती खाते मे दर्ज थी। पूर्व मे उक्त भूमि अपीलांट मांगीलाल एंव कल्याण के खाते मे दर्ज थी जो कल्याण की मृत्यु होने उपरांत उनके दोनो पुत्रो अपीलांट एवं जगदीश के खाते सम्भाग दर्ज की गई थी तथा शामलाती खाते की उक्त आराजी बावत मांगीलाल ने बटवारे का वाद 99/61 एसीएम बूंदी के न्यायालय मे पेश किया था उक्त वाद मे दिनांक 5.1.62 को राजीनामा पेश हुआ था उक्त राजीनामे पर अपीलांट मांगीलाल ने हस्ताक्षर नही किये थे, राजीनामा जगदीश व माता भूलीबाई के बीच लिखा जाकर हस्ताक्षरित किया गया था। दिनांक 28.5.62 को राजीनामे के अन्त मे नोट अंकित है कि इंकारी है रजिस्ट्री के अभाव मे शहादत मे पढने योग्य नही है व पूरे स्टाम्प पर लिखा नही होने से शहादत मे नहीं पढा जा सकता। इस राजीनामे के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 16.7.62 को आदेश पारित किया कि फरीकेन मांगीलाल तथा जगदीश हाजिर है फरीकेन ने राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया, समझौता हो जाने के कारण वादी इसमे कोई कार्यवाही नही कराना चाहता है अतः दावा बरूये राजीनामा फैसल शुमार किया जावे, मिसल बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपरोक्त आदेशिका मे कही पर भी मांगीलाल के हस्ताक्षर नही है न ही उसकी कोई सहमति थी। न्यायालय द्वारा उक्त वाद डिक्री नही किया गया। परीक्षण न्यायालय ने उक्त तथ्यो पर गौर नही किया तथा प्रकरण मे कोई निष्पादन योग्य निर्णय व डिक्री पारित नही किये जाने के उपरांत भी न्यायालय ने फैसला दिनांक 16.7.62 एवं तथाकथित राजीनामा के आधार पर बिना इजराय के नामान्तरकरण सं0 83 दिनांक 7.7.84 को तस्दीक करने मे त्रुटि की है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त नामा0 सूचना दिये बिना ही अपीलांट की अनुपस्थिति मे तस्दीक किया था जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। नामा0 की सर्वप्रथम जानकारी की तारीख से अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे अपील पेश की गई थी जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने बैरून मियाद पेश किया जाना मानते हुये तकनिकी आधार पर खारिज करने मे त्रुटि की है। नामा0 सं0 83 सर्वथा अवैध एवं प्रभावशून्य है अतः मियाद का बिन्दू सुसंगत नही है ऐसी स्थिति मे देरी को क्षम्य किया जाकर अपील का गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना चाहिये था। अपीलांट मांगीलाल का स्वर्गवास दिनांक 28.12.2016 को हो चुका है अपीलांट 1/1 ता 1/4 उनके उत्तराधिकारी एवं कायम मुकामान होने से यह अपील पेश की गई है अपील स्वीकार की जाकर हुक्म जेर अपील निरस्त किया जावे बसूरत दिगर प्रकरण प्रथम अपीलीय न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि अपील पेश करने मे हुई देरी कन्डोन की जाकर अपील का गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट कम-2 व 4 सुनी गई। प्रकरण मे शेष रेस्पो0 के उपस्थित नही होने पर उनकी तामील पूर्ण मानी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि नामा0 सं0 83 दिनांक 7.7.84 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय मे अपील पेश की गई थी जिसे मियाद बाहर मानते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज करने मे त्रुटि की है। विवादित आराजी का मूल खातेदार कल्याण था कल्याण एंव पत्नि भूलीबाई की मृत्यु उपरांत उक्त आराजी मांगीलाल व जगदीश के संयुक्त खाते दर्ज की गई। मांगीलाल द्वारा न्यायालय एसीएम बूदी मे विभाजन का दावा पेश किया गया जिसमे दिनांक 16.7.62 को निर्णय पारित किया गया। नामा0 सं0 83 समझौते के अनुसार दर्ज किया गया। उक्त वाद मे समझौते मे जगदीश का नाम नही है तथा ना ही उक्त वाद मे डिक्री पारित की गई है। पत्रावली की आदेशिका व समझौते पर मांगीलाल के हस्ताक्षर नही है ऐसी स्थिति मे साक्ष्य मे नही पढा जा सकता।

नामा0 सं0 83 अवैध एवं प्रभावशून्य है अतः मियाद के बिन्दू पर अपील को खारिज करना सुसंगत नही है। बहस मे यह भी प्रकट किया कि नामा0 सं0 83 अपीलांट को बिना नोटिस जारी किये व बिना सुनवाई के तस्दीक किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त तथ्यो पर गौर किये बिना अपील को मियाद बाहर मानते हुये खारिज करने मे त्रुटि की है। अपने कथन के समर्थन मे न्यायकि उद्धरण आरबीजे 2017 पेज 43, आरबीजे 2017 पेज 275, आरएलआर 2001(1) पेज 567, आरआरटी 2013 (1) पेज 708, आरआरडी 1982 पेज 332, आरआरडी 1984 पेज 45, आरआरडी 1992 पेज 17, आरआरडी 1996 पेज 457, आरआरडी 1998 पेज 246, आरआरटी 2012 (2) पेज 894, डीएनजे (एससी) 2018 पेज 221, एआईआर (एससी) 1994 पेज 853, आरआरडी 2008 पेज 804, आरआरडी 1988 पेज 409, आरआरडी1998 पेज 368, एआईआर 1999 (एससी) पेज 3421, आरआरडी 2009 पेज 195, आरएलडब्लू 2001(3) पेज 1605 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील स्वीकार कर जेरअपील आदेश अपास्त करने बसूरत दिगर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णय किये जाने प्रथम अपीलीय न्यायालय को रिमांड किया जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट श्री कैलाशचंद गुप्ता ने बहस मे प्रकट किया कि समझौता पत्र दिनांक 5.1.1962 को मांगीलाल के वकील उपस्थित हुये है तथा कोर्ट मे स्टाम्प के संबध मे आक्षेप उपस्थित होकर पेश किये है। बाद मे स्वयं वादी ने दावा प्रेस नही किया दावे मे प्रस्तुत जवाबदावे मे मांगीलाल का कब्जा व पारिवारिक सेटलमेंट होना वर्णित किया गया। सेटलमेंट के रजिस्टर्ड होना आवश्यक नही है। बहस मे आगे बताया कि बटवारे मे वाद मे दिनांक 16.7.62 के निर्णय मे वर्णित दूसरा राजीनामा है जिसमे मांगीलाल के हस्ताक्षर है। निर्णय 16.7.62 से यदि अपीलांट किसी प्रकार व्यथित था तो उसको सक्षम न्यायालय मे चुनौती देना चाहिये था। नामा0 सं0 83 दिनांक 7.7.84 को तस्दीक होने के 31 वर्ष तक कोई कार्यवाही नही की। विचाराणीय न्यायालय ने राजीनामा के आधार पर नामान्तरकरण सं0 83 तस्दीक किया गया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने 31 वर्ष बाद प्रथम अपीलीय न्यायालय मे अपील पेश की गई जो अवधि बाधित थी तथा विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण नही था। अधीनस्थ न्यायालय ने विलम्ब का कोई समुचित कारण नही होने एवं अपील मियाद बाहर होने से जेरअपील आदेश से खारिज की है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही है। अपने तर्क के समर्थन मे आरबीजे2012 पेज 686 आरआरडी 2014 पेज 228 आरबीजे 2016 पेज 20, आरबीजे 2016 पेज 226, आरबीजे 2016 पेज 572 आरबीजे (एससी) 2014 पेज 472 आरएलआर 2004 (3) पेज 439 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा प्रकरण मे उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणो पर गौर कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पो0 पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एवं जेरअपील निर्णय दिनांक 9.1.2017 के अवलोकन से प्रकट होता है कि नामा0 सं0 83 दिनांक 7.7.1984 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रथम अपील लगभग 31 वर्ष बाद पेश की है। तथाकथित राजीनामे के आधार पर न्याया0 एसीएम बूंदी से पारित निर्णय दिनांक 16.7.62 एवं उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध 31 वर्ष तक कोई कार्यवाही नही की गई। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का यह अभिमत विधिसम्म्त है कि **"लम्बी अवधि गुजर जाने के बाद पक्षकारान के हितो के निर्धारण का प्रश्न नियमित वाद मे ही हो सकता है क्योंकि नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसक्ल कार्यवाही है इसमे किसी व्यक्ति के हितो का निर्धारण नही किया जा सकता बल्कि पक्षकारान के हितो का निर्धारण नियमित वाद के माध्यम से ही हो सकेगा"**। यहां यह भी विवेचनीय है अपीलांट द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय एवं हस्तगत अपील प्रकरण मे अपील को अवधि मध्य माने जाने के संबध मे ऐसे कोई ठोस व युक्तियुक्त आधार/अभिलेख पेश नही किये है ऐसी स्थिति मे समुचित आधार अभिलेख के अभाव मे नामा0 सं0 83 के विरूद्ध लगभग 31 वर्ष बाद प्रथम अपीलीय न्यायालय मे प्रस्तुत अपील मे डिले कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मध्य मानी जाने का कोई सारभूत व न्यायोचित आधार नही है। उक्त विवेचित तथ्यो के आलोक मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आरबीजे 2017 पेज 43, आरबीजे 2017 पेज 275, आरएलआर 2001(1) पेज 567, आरआरटी 2013 (1) पेज

708, आरआरडी 1982 पेज 332, आरआरडी 1984 पेज 45, आरआरडी 1992 पेज 17, आरआरडी 1996 पेज 457, आरआरडी 1998 पेज 246, आरआरटी 2012 (2) पेज 894, डीएनजे (एससी) 2018 पेज 221, एआईआर (एससी) 1994 पेज 853, आरआरडी 2008 पेज 804, आरआरडी 1988 पेज 409, आरआरडी1998 पेज 368, एआईआर 1999 (एससी) पेज 3421, आरआरडी 2009 पेज 195, आरएलडब्लू 2001(3) पेज 1605 हस्तगत अपील प्रकरण मे चस्पा नही होते है। फलत् प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अवधि बाधित होने से जेरअपील निर्णय दिनांक 9.1.2017 से खारिज करने मे कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नही की है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय दिनांक 9.1.2017 न्यायोचित होने से निर्णय मे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइंश नही है। अतः उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

6 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 30.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा